प्रार्थी/वादी प्रतिवादीगण के परिवार का सदस्य नही है ना ही गांव का निवासी जिसके कारण पूर्ण जानकारी नही होना प्रतीत होता है प्रतिवादी /अप्रार्थी ने भी प्रतिवादी संख्या 2 के देहान्त होना स्वीकार किया है तथा उनके वारिसान के सम्बध में कोई ऐतराज नही किया है अर्थात प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में विधिक वारिसान का अंकन सही तौर से किया गया है कोई तथ्य छुपाया नही गया है।

यहाँ यह उल्लेखनिय है कि प्रतिवादी संख्या 2 जरिये अधिवक्ता प्रकरण में उपस्थित था यदि प्रतिवादी संख्या 2 का देहान्त हुआ था तो प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता को ज्ञान था जिसका दायित्व था की वह न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 2 के देहान्त होने की सुचना न्यायालय को देता।

किसी भी पक्षकार के द्वारा देरी से प्रार्थना पत्र पेश करने के कारण उसे सुनवाई एवं अपने पक्ष में तथ्य प्रस्तुत करने से वंचित किया जाना न्यायोचित भी नही है सभी पक्षकारो को न्यायालय में सम्पूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया जाना न्यायोचित है।

अतः वादी /प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचन के आधार पर 300/– कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 बगडावत के विधिक वारिसान जो प्रार्थना पत्र में अंकित है को प्रतिवादी संख्या 2 के स्थान पर पक्षकार बनाया जाता है तथा प्रार्थी/वादी को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी तारीख पेशी पर संशोधित शिर्षक आवश्यक तौर से प्रस्तुत करे प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसान के रजिस्टर सम्मन से तलब करे आदेशो की पालना के अभाव में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है पत्रावली संशोधित शिर्षक /प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसान की तलबी हेतु दिनांक 01.10.2025 को पेश हो।

Rahul.

1/10/25 वकील वादी [illegible] उपस्थित संशोधित शिर्षक पेश नहीं तलबी हेतु रजिस्टर सम्मन पेश नहीं आगामी पेशी तक आवश्यक तौर से पेश कर पत्रावली संशोधित शिर्षक / तलबी हेतु दिनांक 16/10/25 को पेश हो।

Rahul.

16/10/25 पत्रावली पेश हुई वकील वादी / वादी उपस्थित नहीं पुनः वकील वादी / वादी को बार बार आवाज लगवाई गई किन्तु वादी / वादी का वकील उपस्थित नहीं वाद अदम पैरवी अदम [illegible] जाता पत्रावली दाखिल दफ्तर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:51:09 IST
Reason: SelfAttested